## न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) निगरानी 422-III-15

52
19.2-15




Rs 20/-

मन्नू देवी पत्नी बाबूलाल पाण्डेय निवासी ग्राम शिवपुर, पोस्ट चौखण्डी, थाना पनवार, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0 ...................निगरानीकर्ता

बनाम

01. कुँजबिहारी तनय बाल्मीक
02. कृष्ण कुमार तनय बाल्मीक
03. कल्लू उर्फ जयशंकर तनय बाल्मीक
04. मु0 देवरती बेवा बाल्मीक (मृतक)
05. मु0 बुइया पुत्री बाल्मीक

सभी निवासी ग्राम शिवपुर, पोस्ट चौखण्डी, थाना पनवार, तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 ..................गैरनिगरानीकर्तागण

06. साकेत बिहारी पिता लालजी
07. गया प्रसाद पिता बाबूलाल
08. मनीष कुमार उर्फ गुड्डू पिता बाबूलाल
09. मु0 बसंती पत्नी श्यामलाल

सभी निवासी ग्राम शिवपुर, पोस्ट चौखण्डी, थाना पनवार, तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 .........औपचारिक गैरनिगरानीकर्तागण

क्रमांक 4582
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त
23-2-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री.आर.के.अहिरवार एड
द्वारा आज दिनांक 19-02-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय त्योंथर, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्र0 63/ए-2/अपील/2013-14, आदेश दिनांक 23.12.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

01. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा आराजी खसरा क्रं0 215/1 रकवा 0.109हे0, 239/1 रकवा 0.61हे0, 259/1 रकवा 0.51हे0, 260/1 रकवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–422/तीन/15 जिला–रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br><br>मन्नूदेवी/कुंजबिहारी | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | | 1 |
| 1–12–2015 | 1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री आर.के. अहिरवार उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया ।<br>2– यह निगरानी प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी त्योथर के प्रकरण कमांक–63/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक–23.12.14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है ।<br>3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया ।<br>निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रकरण के निराकरण तक नामांतरण कार्यवाही स्थगित की जाती है । संहिता की धारा 49 में यह प्रावधान है कि स्थगन आदेश तीन माह से अधिक के लिए एक बार में नहीं दिया जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय को संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के अनुकम में स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिए था, जो इस प्रकरण में परिलक्षित नहीं हो रहा है । अतः सहिता में निहित प्रावधान के विपरीत जारी स्थगन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । का आदेश दि. 23.12.14 निरस्त किया जाता है, तथा उन<br>अतः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार स्थगन के संबंध में कार्यवाही करें । एवं प्रकरण का शीघ्र निराकरण करें ।<br>अतः विचारोपरांत उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो ।<br><br>सदस्य 1.12.15 | |

① एवं प्रकरण की अद्यतन वास्तुस्थिति के प्रकाश में

② नए सिरे से बोलता हुआ आदेश, प्रकरण की आवश्यकता के अनुसार, पारित करें ।